

दिनांक - 09.04.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 181/24 धारा 308/504/506/325/120बी_भादवि में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री सलीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मुण्डाला थाना को0शहर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 04.04.2024 को अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र शमीम निवासी ग्राम रगडपुरा थाना किरतपुर बिजनौर ने आदि ने वादी के पुत्र के साथ गाली—गलौच कर जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डों से जानलेवा हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 181/24



धारा 392/308/504/506 भादवि बनाम आस मौहम्मद आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 392 भादवि का लोप कर धारा 325/120बी भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 181/24 धारा 308/504/506/325/120बी भादिव में वांछित अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र शमीम व 2. फिरोज पुत्र शमीम उर्फ टुईया नि0गण ग्राम रगड़पुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1. नसीम पुत्र शमीम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2. फिरोज पुत्र शमीम उर्फ टुईया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2. हे0का0 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3. का० ८१० मोनू कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर

दिनॉक 09.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० ३०० / २४ धारा ३७ / ४११ भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को चोरी गयी बैटरी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2024 को वादी श्री महिपाल सिंह पुत्र नियादर सिंह नि0 मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र 2.अनुज द्वारा वादी के ई—रिक्शा से बैटरी चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 300/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा



रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 300/24 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र नरेन्द्र कुमार 2.नरेन्द्र उर्फ शुभम नि0 मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी गयी बैटरी, 02 चाबियां(पाना) व मोटरसाइकिल यूके 18 क्यू 9938 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.अनुज पुत्र नरेन्द्र कुमार नि0 मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। 2.नरेन्द्र उर्फ शुभम पुत्र वीरेन्द्र नि0 मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर बिजनौर। बरामदगी का विवरण—
- 1— 01 ई—रिक्शा की बैटरी व 02 चाबियां(पाना)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज उपरोक्त-

- 1.मु०अ०सं० ३०० / २४ धारा ३७९ / ४११ भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.मु0अ०सं० 213 / 2020 धारा ६० आबकारी अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 1198 / 2023 धारा 452 / 323 / 354 / 504 / 506 भादवि थाना को०शहर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1— उ०नि० श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2— हे0का० 603 आदेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3— का० २५१० विजय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर

दिनॉक 09.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० २९० / २४ धारा १४७ / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० / १४० विकास विका

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2024 को वादी श्री अंजार पुत्र अब्दुल रहमान नि0 ग्राम चांदपुरा नौआबाद उर्फ चन्दपुरा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सहवान पुत्र इस्लाम 2.इस्लाम पुत्र अ0अजीज 3.सलमान 4.सुहैल पुत्र गण इस्लाम 5.जैद पुत्र अबरार 6.शाहिद पुत्र मारूफ नि0गण ग्राम चान्दपुर नौआबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने लाठी डण्डे व लोहे की रोड के साथ वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र पर गाली गलौच करते हुए जान से मारने



की नियत से वार किया तथा वादी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ०सं० 290 / 24 धारा 147 / 148 / 149 / 452 / 323 / 324 / 307 / 504 / 506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ०सं० 290/24 धारा 147/148/149/452/323/324/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सुहैल पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चांदपुर नौआबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.सुहैल पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चांदपुर नौआबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। बरामदगी का विवरण—
- 1— घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रोड। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—
- 1— उ0नि0 श्री राम किशोर गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2— हे0का० 580 राहुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



दिनांक 09.04.2024

थाना नहटौर पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्त नदीम पुत्र अब्दुल रहमान नि0 ग्राम सद्दरुदीनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को एक गत्ता, दो सट्टा पर्ची, एक आधी जली मोमबत्ती व 760 रुपये नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 152/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम



बनाम नदीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम पुत्र अब्दुल रहमान नि0 ग्राम सद्दरुदीनगर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

एक गत्ता, दो सट्टा पर्ची, एक आधी जली मोमबत्ती व 760 रुपये नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. मुख्य आरक्षी 496 नरेश पुनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर
- 2. मुख्य आरक्षी 131 शरद पंवार थाना नहटौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर प्रेस नोट– थाना हल्दौर

दिनॉक 09.04.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने थाने के मु0अ०सं० 66/24 धारा 307/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.02.2024 को वादी श्री जयविन्द पुत्र श्री हरी सिंह नि0 ग्राम मुकरन्दपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जेकी पुत्र राजू 2.विशाल पुत्र राजू 3.राजू पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम मुकरन्दपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र हिमांशु के साथ गाली गलौच कर मारपीट की व जान से मारने की नियत से सिर पर धारदार हथियार से वार किया। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु030सं0 66/24 धारा 307/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ०सं० 66/24 धारा 307/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र राजू निवासी ग्राम मुकरन्दपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.विशाल पुत्र राजू निवासी ग्राम मुकरन्दपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर। <u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
- 1— उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
- 2— हे0का0 620 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर दिनाँक 09.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त कमल वर्मा पुत्र मुन्नूलाल वर्मा नि0 मौ0 शक्तिनगर कर्खा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कमल वर्मा पुत्र मुन्नूलाल वर्मा नि0 मौ0 शक्तिनगर करूबा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2. आरक्षी 2550 हरीश चन्दन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



दिनाँक 09.04.2024

थाना नहटौर पुलिस ने 02 वांरटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों 1. मोहसिन उर्फ सीनू पुत्र नासिर निवासी मौ0 छापेग्रान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर व 2. सीमा पत्नी गुलफाम निवासी मौ0 झील कॉलोनी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- 1.मोहसिन उर्फ सीनू पुत्र नासिर निवासी मौ० छापेग्रान कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर
- 2. सीमा पत्नी गुलफाम निवासी मौ० झील कालोनी थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
- 2. हे0का 584 संदीप कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
- 3. म0का0 309 निशी थाना नहटौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक - 09.04.2024

थाना किरतपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने पुलिस मुठभेड के दौरान 04 अभियुक्तगण (02 घायल अवस्था में) को गिरफ्तार किया गया व साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व 03 अवैध शस्त्र मय जिन्दा कारतूस, 02 अवैध चाकू व लूट की घटनाओं से प्राप्त ₹ 28,000 /- नगदी बरामद की गयी।

कार्यवाही -

जनपद में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.04.2024 को थाना किरतपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की निर्माणाधीन आमन कॉलोनी में अर्द्धनिर्मित मकान के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच बदमाश जिनके पास अवैध हथियार भी है तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो बदमांशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग से स्वाट टीम के मुख्य आरक्षी परवेन्द्र कुमार के बाजू में गोली लगी व एक गोली श्री उदयप्रताप, थानाध्यक्ष किरतपुर की पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सोमपाल पुत्र मुंशीराम निवासी ग्राम खेरी जुनारदार अहमदगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली के बायें पैर मे गोली लगी तथा दूसरे बदमाश बन्टी पुत्र ब्रजलाल निवासी थानूडेरा थाना झिझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के दाहिने पैर में गोली लगी है. जिन्हे घायल अवस्था में





गिरफ्तार किया गया । घायल दोनो बदमाशों के कब्जे से क्रमशः एक – एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 – 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । घटनास्थल से कुल 07 खोखा कारतूस बरामद हुए । घायल मुख्य आरक्षी व दोनो अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है ।

पुलिस टीम द्वारा फायरिंग कर भाग रहे तीन अन्य बदमाश 1.श्याम पुत्र कमल सिंह निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बिल्दिया थाना हल्दौर बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस 2.सूरज पुत्र रामकुमार निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बिल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व बाल अपचारी के कब्जे से क्रमशः एक – एक अवैध चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बुलेट मोटर साईकिल (रंग काला चेसिस नं0 ME3U3S5C2HM033297 इंजन नम्बर U3S5C1HM646797 बिना नम्बर प्लेट) व एक मोटर साईकिल स्पेलन्डर (रंग काला चेसिस न0 MBLHAR081JHA16997 इंजन नं0 HA10AGJHAB0969) तथा लूट की घटनायें कारित कर प्राप्त किये गये र 28,000 /- नगद बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 307/34/399/402 भादवि व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा दिनांक 29.03.2024 को थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा व दिनांक 06.03.2024 को कस्बा व थाना धनौरा जनपद बिजनौर से महिला से चैन छीनी थी। दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्तगण द्वारा थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतरा के निकट स्कूटी सवार महिला से रास्ता पूछने के बहाने से चैन झपटी थी। उक्त सम्बन्ध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 161/24 धारा 392 भादिव पंजीकृत है। घटना में प्रयुक्त स्पलेन्डर मोटरसाइकिल उनके द्वारा जनपद पानीपत (हरियाणा) से चोरी की थी।

अभियुक्त सोमपाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध उ०प्र० सहित अन्य राज्यों के विभिन्न थानों पर लूट/चोरी सहित गम्भीर धाराओं में करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1.सोमपाल पुत्र मुंशीराम निवासी ग्राम खेरी जुनारदार अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली
- 2.बन्टी पुत्र ब्रजलाल निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.श्याम पुत्र कमल सिंह निवासी थानूडेरा थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4.सूरज पुत्र रामकुमार निवासी थानूडेरा थाना झिझाना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 5.बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी -

- 02 अवैध तमंचे 315 बोर व 06 जिंदा कारतूस व 05 खोखा कारतूस
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस
- 02 अवैध चाकू
- एक बुलेट मोटर साईकिल (रंग काला चेसिस नं0 ME3U3S5C2HM033297 इंजन नम्बर U3S5C1HM646797 बिना नम्बर प्लेट)

एक मोटर साईकिल स्पेलन्डर (रंग काला चेसिस न0 MBLHAR081JHA16997 इंजन न0 HA10AGJHAB0969)

लूट की घटनायें कारित कर प्राप्त किये गये ₹ 28,000 /- नगद

अभियुक्त सोमपाल का आपराधिक इतिहास –

- 1. मु0अ0सं0 184/2023 धारा 392/411 भादवि थाना कोठी भार जनपद महाराजगंज
- 2. मु0अ0सं0 441/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोठी भार जनपद महाराजगंज
- 3. मु0अ0सं0 152/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हल्दी जनपद बलिया
- 4. मु0अ0सं0 149/23 धारा 307/411/34 भादवि थाना हल्दी जनपद बलिया
- 5. मु0अ0सं0 348/23 धारा 379 भादवि थाना रसडा जनपद बलिया
- 6. मु0अ0सं0 410/23 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद बलिया
- 7. मु0अ0सं0 375/23 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
- 8. मु0अ0सं0 340/23 धारा 379 भादवि थाना चांदनीबाग जनपद पानीपत हरियाणा
- 9. मु0अ0सं0 161/24 धारा 392 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0सं0 165/24 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.श्री उदयप्रताप थानाध्यक्ष थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री योगेश मावी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4.उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 5.हे0कां0 414 रुपक मलिक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 6.हे0कां0 443 कपिल कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 7.हे0कां0 547शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 8.हे0कां0 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 9.कां0 315 सहदेव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

स्वाट । सर्विलांस टीम –

- 1. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 2. हे0कां0 जोगेन्द्र कुमार सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 3. कां0 विशाल चिकारा सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 4. कां0 सूजीत तोमर सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
- 5. हे0कां0 परवेन्द्र चौधरी स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 6. कां0 अचिन स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 7. कां0 आकाश यादव स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 8. कां0 अनिल कुमार स्वाट टीम जनपद बिजनौर
- 9 कां0 हरेन्द्र स्वाट टीम जनपद बिजनौर